

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/29/2010-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 16.09.2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर-त्रिपुरा सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से, केन्द्रीय सरकार सुश्री निधि केसरवानी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमटी:04) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति का एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं० 23093063

सेवा में

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

फरीदाबाद (हरियाणा).